न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः प्रभातीलाल जाट, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0——138 / 2017

प्रविष्टि दिनांक ——15.9.2017

देवेन्द्र वर्मा पुत्र रामेश्वर जाति रेगर निवासी अन्नपूर्णा डूंगरी जिला टोंक

—वादी

बनाम

राजेश पुत्र भंवरचन्दा जाति बैरवा निवासी गफूरपुरा उर्फ तारण तहसील टोंक

— प्रतिपक्षी

उपस्थित—श्री विजय बहादुर सिंह – वकील वादी
श्री विक्रम जैन—वकील प्रतिवादी

दावा बाबत बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 188, 92 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक—21/12/17

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि भूमि ख.न. 228/2 रकबा 1 बीघा ग्राम चन्लाई तहसील व जिला टोंक वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। उक्त भूमि से प्रतिवादी का कोई संबंध नही है। परन्तु प्रतिवादी ने उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर अनाधिकृत रूप से अवैध अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया है। मना करने पर लडाई झगडा करता है। वादी ने अपनी भूमि पर पत्थरगढी करने हेतु प्रार्थनापत्र दिया था जिसकी पालना मे दिनांक 17.7.2017 को पत्थरगढी के दौरान उक्त भूमि के उत्तरी भाग पर प्रतिवादी का कब्जा पाया गया। उक्त कार्यवाही के दौरान नजरी नक्शा व रिपोर्ट संलग्न है। अतः अतिक्रमी का अतिक्रमण हटवाकर वादी को उसकी भूमि का कब्जा दिलाया जावे , प्रतिवादी को बेदखल किया जावे। प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी की खातेदारी की भूमि मे हस्तक्षेप व मजाहमत नही करे तथा पुनः कब्जा नही करे। प्रतिवादी को लगान की 15 गुना पैनल्टी से दण्डित किया जावे तथा 50 हजार रूपये वादी को दिलाये जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत नही कर, राजीनामा प्रस्तुत किया । प्रस्तुत राजीनामे अनुसार उक्त भूमि ख.न. 228/2 रकबा 1 बीघा को वादी सैटलमेन्ट विभाग की टीम से पुख्ता मुकाम से इस फसल के बाद नपवायेगा साथ ही ख.न. 246 रकबा 3 बघा 14 बिस्वा ग्राम चन्दलाई का नाम भी उक्त सेटलमेन्ट टीम द्वारा किया जायेगा सेटलमेन्ट टीम पक्के मुकाम से नाप कर पत्थर गढी से भूमि चिन्हित कर देगी व वादी व प्रतिवादी उक्तानुसार भूमि पर काबिज हो जावेगी। उसमे दोनो पक्षो को कोई उज्र नही है। नाप चौप के समय दोनो पक्ष उपस्थित रहेंगे। उक्त नापचौप के बाद यदि उक्त भूमि किसी भी पक्षकारान के हिस्से मे अधिक निकालती है तो वह हिस्से एवं नाप अनुसार भूमि को छोडेगें एवं उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य हिस्से मे पक्षकारान की भूमि निकालती है तो उसकी जिम्मेदारी दोनो पक्षो की नही होगी जिसको लेकर भी कोई विवाद नही करेंगें। सैटलमेन्ट विभाग से जमीन नपवाने का सारा खर्च वादी द्वारा वहन किया जावेगा। राजीनामे को स्वीकार कर प्रकरण का निस्तारण करे।

अधिवक्ता वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे नक्शा ट्रेस, जमाबंदी संवत 2070—73, सीमाज्ञान पालना रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (पक्ष)

Scanned by CamScanner

हमने वादपत्र एवं संलग्न दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया। चूंकि वाद बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2070–73 मे अंकितानुसार वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा वाद ग्रस्त भूमि से प्रतिवादी का कोई संबध नही है। पत्थर गढी रिर्पोट से भी वादी की भूमि मे प्रतिवादी का कब्जा साबित है। बहस के दौरान दोनो पक्षो ने एक दूसरे की भूमि पर कब्जा करने का तथ्य अंकित किया है। चूंकि प्रकरण मे प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्ररतुत नही कर, राजीनामा प्रस्तुत किया है जिसमे दोनो पक्ष अपनी अपनी भूमि की हद तक रहने को तैयार है और नापचौप के उपरान्त एक दूसरे की भूमि को छोडने को तैयार है। वेसे तो प्रकरण मे प्रतिवादी का कब्जा दृष्टिगोचर होता है लेकिन बहस के दौरान तथ्यो को मध्यनजर और भविष्य मे और विवादो की संभावना को ध्यान मे रखते हुए राजीनामे को स्वीकृत किया जाना उचित होगा साथ ही सरकार की मंशानुरूप न्यायालय मे प्रकरणो की अधिकता, लम्बी प्रकिया एवं न्याय मे विलम्ब के कारण जनता की परेशानियो के मध्य नजर सुलभ एवं शीघ्र न्याय प्रदान करने के उदेश्य से राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन किया जाता है जिसके तहत पक्षकारो के मध्य विवादो का निपटारा राजीनामे के आधार पर किया जाकर शीघ्र निपटारा किये जाने का उदेश्य है। इस लिए उदेश्य की पूर्ति हेतु एवं भविष्य मे विवादो की बढोतरी को रोके जाने के लिए प्रस्तुत राजीनामे को स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः वाद वादी बाबत बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा ख.न.0 228/2 रकबा 1 बीघा ग्राम चन्दलाई तहसील टोंक राजीनामे के आलोक मे स्वीकार किया जाता है। प्रकरण मे प्रस्तुत राजीनामे को स्वीकृत किया जाकर, विवादित भूमि को भू–प्रबन्ध विभाग से नपवाकर, पुनः पत्थर गढी करवाई जावे। दोनो पक्षकारो की उपस्थिति मे भू–प्रबन्ध विभाग टोंक से सीमाज्ञान करवाकर, पत्थरगढी की जावे। इस हेतु भू–प्रबन्ध विभाग को पृथक से तहरीर जारी हो। विवादित आरजी का सीमाज्ञान, पत्थरगढी हेतु निर्धारित शुल्क वादी द्वारा वहन किया जावेगा। पक्षकारो को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त भूमि किसी भी पक्षकारान के हिस्से मे अधिक निकलती है तो वह हिस्से एवं नाप अनुसार भूमि छोडेंगे। भविष्य मे एक दूसरे की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा नही करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

निर्णय आज **दिनांक 21.12.2017** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रभातीलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner